न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 73/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मुस्ताक अली वगैरा बनाम आचार वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – श्री मोहनसिंह सोढ़ा, श्री मुकीम खान

निर्णय दिनांक – 05.06.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प फागलिया में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा पांचरला, पटवार क्षेत्र फागलिया, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 214/89 रकबा 60.18 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा पांचरला, पटवार क्षेत्र फागलिया, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 214/89 रकबा 60.18 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प फागलिया में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी,चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1445 दिनांक 21/6/18

प्रार्थीगण :-

1. मुस्ताक अली पुत्र बबर
2. नजर अली पुत्र बबर
3. इमामत पत्नी बबर
4. लतीफ पुत्र कबूल

जातियान–मुसलमान
निवासी पांचरलां तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1 आचार पुत्र सुरतान 2.रहमान पुत्र सुरतान 3 जुली बेबा सुरतान 4 वली पुत्र सुमरा 5 साजन पुत्र सुमरा 6 आदम पुत्र सुमरा 7 समी पत्नी सुमरा 8 हुसैन पुत्र अलू 9 खमीशा पुत्र अलू 10. उर्स पुत्र अलू जातियान–, कुम्हार मुसलमान
11 सतबाई पत्नी लोंगा 12 सहीदों पत्नी लोंगा
13 लुकमान पुत्र रमजान 14 फोगा पुत्र रमजान
15 सुलेमान पुत्र लखाना 16 कमन पुत्र लखाना
17 बहादूर पुत्र तालब 18 अमजद पुत्र तालब
19 लखाना पुत्र हिरा 20 धोंधा पुत्र हिरा 21 चनेसर पुत्र हिरा 22 अकबर पुत्र हिरा 23 सेहजी पत्नी हीरा 24 हुसैन पुत्र बुला 25. हसन पुत्र बुला 26. ईशा पुत्र बुला 27. सिका पुत्र बुला 28. आकेल पुत्र बुला 29. सुरेमा बेवा बुला 30. करीम पुत्र सुमार जातियान मुसलमान निवासी–पांचरला, तहसील–सेड़वा।
31. रामलाल पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी सोमरड़ी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर
32. तहसीलदार सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 73/2018 दिनांक : 05.06.2018

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा नंबर 214/89 रकबा 60.18 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

मौका कमिश्नर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है | कमिशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे | नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1446 to 49 दिनांक 21/6/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थीगण मुस्ताक वगेरा
3. विप्रार्थीगण आचार वगेरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन